

व्यापार कर आयुक्त, उत्तरप्रदेश

बनाम

एम/एस. जे.यू. पेस्टिसिड्स एण्ड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 1603/2008)

26 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, जे.जे.]

उत्तरप्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, धारा 11- विभागीय अधिकारियों और न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष - उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को उलट दिया - की शुद्धता - माना गया। सही नहीं- उच्च न्यायालय के पास केवल कानून के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र सीमित है, जो कि आवश्यक है सटीक रूप से कहा और तैयार किया गया।

विभागीय अधिकारियों और ट्रिब्यूनल ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि भौतिक सत्यापन पर हालांकि वाहन में माल रसीद के अनुसार 99 ड्रम कृषि रसायन पाए गए, लेकिन चालान और डिलीवरी नोट में उल्लिखित सामानों के साथ इन सामानों की तुलना करने पर, अलग-अलग सामान थे। वाहन में यह भी पाया गया। ट्रिप शीट्स ई में उल्लिखित सामान का

विवरण उन सामानों से मेल नहीं खाता पाया गया। हाईकोर्ट ने पुनरीक्षण की अनुमति दे दी।

इस अदालत में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरप्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप की बहुत सीमित है और उच्च न्यायालय केवल कानून के प्रश्न में हस्तक्षेप कर सकता है और आम तौर पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना कि-

1.1 उच्च न्यायालय को विभागीय अधिकारियों और न्यायाधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, वह भी तथ्यात्मक पहलुओं की सराहना के सवाल पर। उच्च न्यायालय ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया है कि ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष किस प्रकार प्रभावित होते हैं।

दुर्बलता- यदि तथ्यान्वेषी प्राधिकारी ईमानदारी से कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है और केवल इस तथ्य पर विश्वास करता है कि न्यायालय के पास उस प्रश्न का एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, तो यह निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है, भले ही एक और दृष्टिकोण संभव हो। उत्तरप्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 11 के अंतर्गत प्रयोज्य सीमित क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है।

[पैरा 12] [437-B, C, D]

(बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र. बनाम कुमाऊँ ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स (2002) 9

एससीसी 379 - पर निर्भर)

1.2 अधिनियम की धारा 11 केवल कानून के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है, जिसे सटीक रूप से बताया और तैयार किया जाना आवश्यक है। मौजूदा मामले में तो ऐसा भी नहीं हुआ है. हो गया। उच्च न्यायालय का आदेश, जो स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है, रद्द किया जाता है। [पैरा 12, 13] [437-D, E]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1603/ 2008

टीटीआर नंबर 694/2006 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10/10/2006 से

शैल कुमार द्विवेदी-अतिरिक्त महाधिवक्ता

विभा द्विवेदी- गुन्नम वैकटेश्वर राव, विश्वजीत सिंह आँर वंदना मिश्रा अपीलकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डाँ० अरजिलीत पसायत द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती व्यापार कर संशोधन संख्या 694/2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 10.10.2006 के फैसले और आदेश को है। आक्षेपित आदेश के अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 11 के तहत दायर किया गया और कुछ सामानों को रिहा करने का निर्देश दिया गया जो बिना सुरक्षा के जब्त किए गए थे और लागत के रूप में 20,000/- रुपये लगाए गए थे।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है-

'उत्तर प्रदेश राज्य में एंट्री चेक पोस्ट तमकुहीराज, जिला देवरिया में तैनात चेक पोस्ट अधिकारी ने ट्रक नंबर HR-55A-4687 में ले जाए गए माल के संबंध में ट्रांजिट पास नंबर 1006 दिनांक 13.6.2005 जारी किया। इसे 15.06.2005 को चेक पोस्ट अधिकारी, निकास चेक पोस्ट, ट्रांसपोर्ट नगर, गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ट्रांजिट पास के अनुसार, 59,87,142.85/- रुपये मूल्य के एगो केमिकल्स के 99 ड्रम दर्ज किए गए थे। इन सामानों को असम के कपूरु से पंजाब राज्य के भटिंडा तक ले जाया गया दिखाया गया था। ट्रक में लदे माल का भौतिक सत्यापन एगिजिट चेक पोस्ट पर तैनात चेक पोस्ट अधिकारी सी द्वारा किया गया और यह पाया गया कि एगो केमिकल्स के 99 ड्रम से संबंधित

सामान ट्रांजिट पास नंबर 1006 द्वारा कवर किए गए सामान से अलग थे। जारी किए गए चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी ने प्रश्नगत माल के अवलोकन पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि जिस माल के लिए ट्रिप शीट नंबर 1006 दिनांक 13.6.2005 जारी किया गया था, वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अनलोड किया गया है और इसके स्थान पर अलग-अलग सामान उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी स्थान पर लादा गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक बिक्री थी जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'केंद्रीय कर') के तहत कर योग्य है। लेकिन उक्त ट्रिप शीट नंबर 1006 दिनांक 13.6.2005 की आड़ में अलग-अलग सामान बेचे जा रहे थे ले जाया गया। ट्रक में लदे माल का विश्लेषण श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली में किया गया। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, माल का कुछ हिस्सा जिसका वजन 375 किलोग्राम था और जिसकी कीमत 37,50,000/- रुपये थी, 31.12.2005 को जब्त कर लिया गया। और चेक पोस्ट अधिकारी द्वारा जब्त किए गए माल की रिहाई के लिए जब्त किए गए माल के मूल्य का 40% यानी 15 लाख रुपये की सुरक्षा की मांग की गई थी। डीलर को शेष माल की पहचान का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था जो कि हिरासत में लिया गया। पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला।'

4. उपरोक्त आदेश दिनांक 31.12.2005 से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने डिप्टी कमिश्नर (चेक पोस्ट) व्यापार कर, मोहन नगर, गाजियाबाद के समक्ष सुरक्षा भुगतान के बिना माल जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 13A(6) के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त प्राधिकरण ने दिनांक 28.1.2006 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया और जल्दी आदेश के साथ-साथ बी माल की रिहाई के लिए सुरक्षा की मांग की पुष्टि की। डिप्टी कमिश्नर द्वारा धारा 13A(6) के तहत पारित आदेश को ट्रिब्यूनल, व्यापार कर, गाजियाबाद, बेंच-II (संक्षेप में ट्रिब्यूनल) के समक्ष चुनौती दी गई थी। ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रतिवादी का कहना था कि ट्रांजिट पास 13.6.2005 को एंटी चेक पोस्ट से जारी किया गया था, जब ट्रक लगभग 700 कि.मी. की दूरी तय करने के बाद 15.6.2005 को एग्जिट चेक पोस्ट पर पहुंचा था और इतनी कम अवधि के दौरान ट्रक चालक के लिए प्रवेश जांच चौकी के माध्यम से राज्य में प्रवेश करते समय मूल रूप से ट्रक में लोड किए गए सामान को उतारना और बेचना और उसके बाद उसी वाहन में किसी अन्य स्थान से अन्य सामान लोड करना संभव नहीं था। निकास चेक पोस्ट के माध्यम से राज्य पार करने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य। ट्रिब्यूनल ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि माल उतारने और बेचने की संभावना के बारे में दलील स्वीकार्य नहीं थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि केवल इसलिए कि उक्त वाहन ने 700 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व

नियोजित रणनीति के तहत एक या दो घंटे की अल्प अवधि में मूल माल उतारकर उसके स्थान पर दूसरा माल लादा जा सकता था। ट्रिब्यूनल ने पाया कि क्या वाहनों में लदा सामान वही सामान था जो चेक पोस्ट पर एफ वाहन के प्रवेश के समय वाहन में उपलब्ध था, यह तथ्य प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद ही पता लगाया जा सकता है। एग्जिट चेक पोस्ट के साथ-साथ एग्जिट चेक पोस्ट पर निरीक्षण के समय वाहन में लदे सामान का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।

5. ट्रिब्यूनल ने देखा कि ड्राइवर या वाहनों में लदे माल के प्रभारी व्यक्ति को एग्जिट चेक पोस्ट पर वाहन रोकना, ट्रिप शीट की एक प्रति सरेंडर करना आवश्यक है और एग्जिट चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की अनुमति दी गई है। गाड़ी में जो माल लदा है वही माल है, जो ट्रिप शीट में शामिल हैं और उक्त उद्देश्यों के लिए, यदि आवश्यक हो, तो माल और उसके परिवहन से जुड़ी प्रासंगिक खाता पुस्तकों को अधिकारी द्वारा जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यह देखने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 87(3) का संदर्भ दिया गया था कि चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारी को न केवल ड्रमों की संख्या की गणना करनी है, जैसा कि इसमें बताया गया है। ट्रिप शीट, लेकिन यूपी राज्य के बाहर परिवहन किए जाने वाले संबंधित दस्तावेजों, खेप और माल की जांच करने के बाद खुद को संतुष्ट

करना चाहिए। ये वही सामान हैं जो एंट्री सी चेक पोस्ट पर प्रवेश के समय ट्रक में लोड किए गए थे और जैसा कि ट्रिप शीट में बताया गया है।

6. एक स्पष्ट निष्कर्ष यह दर्ज किया गया कि भौतिक सत्यापन पर हालांकि माल रसीद के अनुसार 99 ड्रम कृषि रसायन वाहन में पाए गए, लेकिन इन सामानों की तुलना चालान संख्या 33 दिनांक 03.06.2005 और डिलीवरी नोट में उल्लिखित माल से करने पर क्रमांक 34 दिनांक 03.06.2005, वाहन में विभिन्न सामान पाये गये। ट्रिप शीट्स में उल्लिखित सामान का विवरण निम्नलिखित कारकों के कारण उन सामानों से मेल नहीं खाता पाया गया-

i माल की रसीद मूल रूप से 126 ड्रमों- जैसा कि चालान संख्या 33 दिनांक 03.06.2005 में दिखाया गया है, जिसमें 50 लीटर प्रत्येक के 60 डिब्बों में इमिडा क्लोप्रिड और 50 किलोग्राम प्रत्येक के 66 डिब्बों में एसिटामिप्रिड शामिल है। इस प्रकार इन ड्रमों की कुल संख्या 126 होती है जैसा कि माल रसीद में दिखाया गया है, के प्रेषण के लिए बनाई गई थी।

ii इतना ही नहीं, इन 126 ड्रमों का वजन भी 6300 किलोग्राम है, जैसा कि मूल रूप से माल रसीद में दिखाया गया था।

iii बताया गया है कि इन 126 ड्रमों में से केवल 99 ड्रम ही बाद में भेजे गए थे। इन 99 मामलों में 50 किलोग्राम प्रति मामले के हिसाब से रसायनों का वजन 4950 किलोग्राम होता है और यदि कंटेनरों का वजन

भी इसमें जोड़ा जाता है, तो इन 99 ड्रमों का वजन 5100 किलोग्राम होता है जैसा कि माल रसीद में बाद में उल्लेख किया गया है।

iv डिलीवरी नोट संख्या 034 दिनांक 03.06.2005 पर ही माल रसीद संख्या 6401589 का संदर्भ है और इस प्रकार उक्त डिलीवरी नोट को किसी अन्य माल रसीद से संबंधित नहीं माना जा सकता है।

v उक्त माल रसीद संख्या 6401589 दिनांक 13.06.2005 की ट्रिप शीट संख्या 1006 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

vi माल रसीद संख्या 6401589 में प्राइवेट मार्क के कॉलम में 34 का संदर्भ है जो डिलीवरी नोट की संख्या ही है।

vii यह सच है कि ट्रिप शीट संख्या पर चालान संख्या और तारीख का कोई संदर्भ नहीं है। 1006 दिनांक 13.6.2005, लेकिन इसका सीधा सा कारण यह है कि ट्रिप शीट में इस प्रयोजन के लिए कोई कॉलम उपलब्ध नहीं कराया गया है।

7. ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि माल रसीद संख्या 6401589 के विरुद्ध 126 ड्रमों का परिवहन ट्रिप शीट में दिखाया गया है, जो एंट्री चेक पोस्ट तमकुहीराज से 99 ड्रमों के संबंध में प्राप्त किया गया था और यह डिलीवरी नोट संख्या 034 दिनांक 03.06.2005 को संदर्भित करता है और भौतिक सत्यापन पर, जो सामान पाया गया वह डिलीवरी नोट में शामिल सामान से अलग था।

नोट- यह भी नोट किया गया कि उत्तरदाता अवसर दिए जाने के बावजूद माल की पहचान का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं थे।

8. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर संशोधन में ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को चुनौती दी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एफ ने इसकी अनुमति दी।

9. अपीलकर्ता का मूल रुख यह है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है, यह केवल कानून के प्रश्न में हस्तक्षेप कर सकता है और आम तौर पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

10. नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

11. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यात्मक निष्कर्ष ऊपर नोट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने माल रसीद संख्या में एच की सराहना की है। 6401589 दिनांक 9.6.2005 "प्राइवेट मार्क" के कॉलम में प्रविष्टि 034 है और "मूल्य" के कॉलम में प्रविष्टि 76,20,000/- रुपये है। "034" और "रु.76,20,000" अंक डिलीवरी नोट संख्या 34 हैं और माल का मूल्य रु.76,20,000/- है, जैसा कि डिलीवरी नोट में उल्लिखित है।

12. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय को विभागीय अधिकारियों और न्यायाधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, वह भी तथ्यात्मक पहलुओं की सराहना के सवाल पर। उच्च न्यायालय ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया है कि ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी कमजोरी से कैसे ग्रस्त हैं। यदि तथ्यान्वेषी प्राधिकारी ईमानदारी से कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है और केवल इस तथ्य पर विश्वास करता है कि न्यायालय के पास उस प्रश्न का एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है, तो यह निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है, भले ही एक और दृष्टिकोण संभव हो। अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रयोग किए जाने वाले सीमित क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कोई पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र. में नोट किया है। वी. कुमाऊं ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स (2002 (9) एससीसी 379)। अधिनियम की धारा 11 केवल कानून के प्रश्न पर ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित क्षेत्राधिकार प्रदान करती है, जिसे सटीक रूप से बताया और तैयार किया जाना आवश्यक है। मौजूदा मामले में तो वह भी नहीं किया गया है।

13. उच्च न्यायालय का आदेश, जो स्पष्टतः बचाव योग्य नहीं है अलग रखा गया है।

14. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन मीना-प्रथम (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।